पत्रावली पेश हुई। बहस सुनी गई।
पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक
07-01-2019 को पेश हो।

पत्रावली वास्ते बहस हेतु पेश हुई।
वादी के वकील की समयाभाव बहस
सुनी गई। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद
पत्र उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा
के संबंध में तथ्य इस प्रकार है
कि वाके ग्राम धामनहेड़ी में स्थित
कृषि भूमि में वादी को प्रतिवादी
अर्जुन के 1/2 हिस्से में से 1/2 हिस्से
का खातेदार घोषित किया जावे।
क्योंकि वादी वाद पत्र के मद
नं. 2 में वर्णित सजरा के अनुसार
प्रतिवादी अर्जुन का वादी गोद पुत्र
होने के कारण वाके ग्राम धामनहेड़ी
के हाल खाता सं. 26 में अंकित कुल
खसरा नम्बर 53 रकबा 14.97 है०
में से प्रतिवादी सं. 1 के हिस्से की
कृषि भूमि 1/2 हिस्से में से 1/2 हिस्से
का वादी को खातेदार घोषित
किया जावे। वाद पत्र प्रस्तुत होने
पर वाद पत्र दि. 19-6-12 को दर्ज
रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण

...निरन्तर...

की तलबी बजरिये सम्मन की गई।
दिनांक 18-10-12 को जवाबदावा हेतु
अवसर चाहा गया। प्रतिवादीगण की
ओर से कोई अधिवक्ता भी उपस्थित
नहीं हुआ। तत्पश्चात् दि. 14.5.13
को प्रतिवादीगण के उपस्थित
नहीं होने पर एकतरफा कार्यवाही की गई,
एवं साक्ष्य वादी में पत्रावली
में नियत होने पर वादी ने
स्वयं का शपथ पत्र व गवाह
जगदीश व नन्दराम का शपथ पत्र
पेश होने पर पत्रावली एकपक्षीय
बहस हेतु नियत की गई।
तत्पश्चात् दिनांक 19-12-18 को
वकील वादी की एकपक्षीय बहस
सुनी गई। पत्रावली का गहनता
से अवलोकन किया गया। वाद
पत्र के साथ संलग्न राजस्व
जमाबंदी सम्वत् 2065 से सम्वत
2068 को खाता सं. 26 में अंकित
खातेदारों के दर्ज इन्द्राज के
अनुसार वादी का 1/12 हिस्सा
दर्ज है। वादी के प्राकृतिक पिता
का नाम गोपी दर्ज है। जबकि
वाद पत्र के मद नं. 2 के सजरा
में नन्दपाल गोद अर्जुन, व घनश्याम
गोद अर्जुन दर्ज किया है, जबकि
प्रतिवादी अर्जुन के दो गोद हुआ
होना संदेह उत्पन्न करता है।
....निरन्तर....

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीर में जारी हुए	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीर में जारी हुए
	इसके अलावा वादी द्वारा एवं प्रतिवादी अर्जुन वाद पत्र में प्रतिवादी सं. 1 के रूप में दर्ज है। राजस्व जमाबन्दी सम्वत 2025 से 2028 के खाता सं. 24 का अवलोकन किया गया, जमाबन्दी के अनुसार खातेदार गोपी, अर्जुन s/o गंगाधर दर्ज है, वादी नेमीचन्द गोपी की मृत्यु होने के पश्चात विरासत के आधार पर दर्ज नामान्तकरणों की प्रति भी प्रस्तुत नहीं की है। वादी ने अर्जुन पुत्र गंगाधर द्वारा दिनांक 17.5.12 को हक त्याग कायम किये गये रिलीज डीड के आधार पर पटवारी हल्का अहल्का स्वई द्वारा दिनांक 11.6.12 तक के इन्द्राजो का प्रमाणीकरण करते हुए जमाबन्दी को अपडेट किया है, हकत्याग से वादी के नाम का भी इन्द्राज नहीं है। एवं प्रतिवादी खातेदार अर्जुन जीवित है उसने वादी के समर्थन में कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया है, वादी द्वारा भी प्रस्तुत पंच फैसला दि. 17-7-85 पांच रूपये स्टाम्प पर तहरीर किया गया है। वह हिन्दू गोद पुत्र उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत नहीं है। क्योंकि वादी ने ... भी नहीं	

को प्रस्तुत भी नहीं किया है, इसके
अलावा प्रतिवादी अर्जुन ने रजिस्टर्ड
हक त्याग रीलिज डीड द्वारा
अपने हको का परित्याग कर दिये
जाने की रंजिश के कारण ही
वादी ने वाद पत्र घोषणा की
उद्घोषणा बावत प्रस्तुत किया है।
साथ ही वादी ने हक त्याग को
निरस्त करने बावत सिविल न्यायालय
में दावा भी प्रस्तुत नहीं किया
है। वादी को हकत्याग की पूर्ण
जानकारी है।

उपरोक्त विवेचन के आधार
पर वादी द्वारा अर्जुन s/o गंगाधर के
हिस्से की 1/2 भूमि मे से 1/2 हिस्से
की घोषणा बावत प्रस्तुत वादपत्र
को निरस्त किया जाना उचित
प्रतीत होता है।

अतः आज दिनांक 7-1-19 को
वाद पत्र
वादी द्वारा प्रस्तुत निरस्त
अस्वीकार किया जाकर निरस्त
किया जाता है, पक्षों डिक्री नियमानुसार
जारी हो। निर्णय खुले न्यायालय मे
लिखा जाकर सुनाया गया। पत्रा०
फैसल शुमार होकर नंबर से कम
होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीर में जारी हुए
पत्रावली को प्रस्तुत प्रकिया का बोधहेतु पत्रावली तलब की गई। मुताबिक रिपोर्ट R.A पत्रा. के डिक्री करना पाया नहीं जाता है। प्रकिया चला स्वीकार किया जाकर डिक्री की जावे। Ч शामिल मिसल उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	